न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 96/2019

रमनदीप सिंह बनाम पवन कुमार

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता,

उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री कुलविन्द्र सिंह अधिवक्ता –वादी
2. श्री दिनेश छाबडा अधिवक्ता –प्रतिवादी

दिनांक :– 20.02.2020

–:: आदेश ::–

प्रतिवादी द्वारा दिनांक 14.08.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पेश किया जिसके तथ्यानुसार उपरोक्त अनवान का वाद वादी की, ओर से अन्तर्गत धारा 92 ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत चक 1 ई छोटी, पटवार हल्का 4 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 2/5 मुरब्बा नं. 24 के किला नं. 1,2,3,8,ता 13,18 ता 20 व 21/1 का 0.227 हैक्टर , 22/1 का 0.227 हैक्टर, 23/1 की 0.2 28 हैक्टर कुल 3.643 हैक्टर बाग व 0.075 हैक्टर खाला के सन्दर्भ में प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रतिवादीगण अर्थात प्रार्थी / प्रतिवादी सं.1 वा प्रतिवादी सं.2 इस भमि में कॉलोनी का निर्माण करने से व किसी प्रकार का निर्माण करने से निषेधित रहे एवं यह भी अनुतोष चाहा है कि उसकी स्वंय की भूमि में दखल अन्दाजी ना करे। प्रस्तुतकर्ता जमाबन्दी एवं तथ्यो से प्रभावित है कि व[illegible]ाद की गई वादग्रस्त 3.643 हैक्टर कृषि भूमि वादी की खाते[illegible] भूमि नही है ना ही वादी का इस भूमि पर क[illegible] है [illegible] यह भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है। यह खातेदार कृषक अपनी भूमि के सन्दर्भ में ही एवं अपने कब्जा काश्त को सुरक्षित रखने के आशय से 92 ए अथवा 188 आर.टी.एक्ट का वाद प्रस्तुत कर सकता है चूंकि वादी विवाद की गयी भूमि का किसी भी श्रेणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rathu
Date: 2021.06.04 10:14:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर
...ी (राजस्व) ...नगर

का खातेदार नही है इसलिए वादी का वाद विधि से बाधित होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अधीन निरस्त किये जाने योग्य है। वाद पत्र के अभिवचनो के अवलोकन मात्र से प्रमाणित है कि वादी को प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि के सम्बन्ध में ऐसे तथ्यो के आधार पर धारा 92 ए व 188 आर.टी. एक्ट का वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतूक हासिल नही है। अतः वाद वादी वाद हेतूक के अभाव में आदेश 7 नियम 11 सी. पी.सी. के अधीन निरस्त किये जाने योग्य है। वाद बोगस एवं क्लेम पर एवं गलत अभिवचनो पर बिना किसी आधार प्रसतुत किया जाना प्रथम दृष्टाया प्रमाणित है इसलिए कानूनी प्रावधानो के अन्तर्गत ऐसा वाद बिना आयन्दा विचारण इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का निर्णय महज वाद पत्र के अभिवचनो से किया जाना है जिस हेतू जवाब अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने की कानूनन आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य कानूनी है जिनका सर्वप्रथम निस्तारण किया जाना आवश्यक है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त अनवानी वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के प्रावधानो के तहत इसी स्तर पर बिना आयन्दा विचारण के निरस्त फरमाया जावें।

वकील वादी प्रार्थना पत्र का जवाब पेश न कर लिखत बहस प्रस्तुत की गई। जिसके तथ्यानुसार चक 1 ई छोटी पटवार हल्का 4 जैड के खाता संख्या 4/5 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 2 1/2, 22/2, 23/2, 24 व 25 कुल 2.60 5 है. भूमि का वादी मालिक है। इसी मुरब्बा के शेष किलाजात प्रतिवादीगण के नाम से है। वादी को अपने रकबे में जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21/2, 22/2, 23/2 में रास्ता के लिए भूमि खरीद [illegible] है तथा खाता संख्या 3/23 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1,10,11, 20 में दो दो बिस्वा भूमि वादी ने रास्ता के लिए खरीद की हुई है। जबकि प्रतिवादीगण इस भूमि पर कॉलोनी काट रहे हैं, नक्शा तैयार किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तित नहीं करवाया और न ही कॉलोनी निर्माण के लिए प्रशासन से अनुमति ली है। प्रतिवादीगण द्वार कॉलोनी के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rathu
Date: 2021.06.04 10:14:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर
...कारी (राजस्व) ...नगर

प्रपोज प्लान में वादी के नाम दर्ज किला नम्बर 21 ता 23 में कॉलोनी का रास्ता दिखाया हुआ है तथा रास्ता निर्माण की कोशिश में है जिसके लिए वादीगण ने दावा प्रस्तुत किया है। वादी भूमि का काश्तकार है, वादी के नाम से भूमि दर्ज है इसलिए वादी धारा 92 ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दावा पेश कर सकता है। वादी अपनी भूमि में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी को रोकने के लिए दावा लाने का अधिकारी है। वादी ने अपने दावे के पैरा संख्या 9 में वादकारण दर्ज किया है। वादी को अपनी भूमि में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी को रोकने के लिए वादकारण उपलब्ध है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने प्रार्थना–पत्र में वादी का वाद–पत्र किस कानून के खिलाफ है, कहीं वर्णन नहीं किया है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। आदेश 7 नियम 11 सी पी सी पर विचार करते समय केवल वादी के वाद–पत्र को देखा जाना है। प्रतिवादी के जवाबदावा व दस्तावेजों को इस स्तर पर नहीं देखा जाना है। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत करके निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं है न ही उसके कब्जा काश्त की भूमि है। वादी स्वयं के नाम खातेदारी दर्ज भूमि पर ही वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा अपनी भूमि पर कॉलोनी निर्माण करने से व किसी प्रकार से निर्माण करने से निषेध [illegible] अनुतोष चाहा गया है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि पर [illegible] कृषि कार्य के अतिरिक्त अकृषि कार्य होता है तो उसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने का अधिकार सम्बन्धित तहसीलदार को है। वादी अन्य खातेदार की भूमि पर किसी प्रकार से अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

...कारी (राजस्व) ...गानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.04 10:14:03 IST
Reason: SelfAttested

11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को तहरीर जारी हो कि इस वाद ग्रस्त आराजी में कृषि भूमि पर यदि अकृषि कार्य हो रहा है तो स्वयं मौका निरीक्षण कर प्रथम दृष्टया मामला 177 आर.टी.ए. के अन्तर्गत पाये जाने पर न्यायालय में धारा 177 आर. टी.ए. का वाद प्रस्तुत करे।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

आदेश दिनांक 20.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.04 10:14:03 IST
Reason: SelfAttested